संख्या-106/2022/89/2022/71-2099/68/2022

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2022**

विषयः- एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में नवनिर्मित इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक मानव संसाधन के पदों का सृजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/निदेशक/कैम्प/778/2021, दिनांक 01.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में नवनिर्मित इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक मानव संसाधन के कुल 2142 पदों का सृजन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 01.11.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर को क्रियाशील करने हेतु निम्नानुसार मानव संसाधन के कुल 712 नियमित पदों का अस्थाई रूप से सृजन किये जाने तथा आउटसोर्सिंग के पदों पर न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को आउटसोर्स किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	कैडर	पदनाम	ग्रेड पे	सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	**Nursing**	*Sister-Gr-II* ***(Nursing officer)***	GP 4600	505	
2	*Technical*	ICU Technician	*GP-4200*	*02*	
		OT Technician		*18*	
		Radiology Technician		*20*	
		Laboratory Technician		*18*	
		Endoscopy Technician		*02*	
		Laboratory Technician*		*41*	**डायलिसिस, प्लाज्मा*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

					फेरेसिस तथा सी०आर०आर०टी इत्यादि हेतु
3	**Medical Social Work**	*SMSSO-Gr-II*	GP-4200	4	
4	**Public Relation Cell**	*Public Relation Officer (PRO)*	GP-6600	1	
5		*Asstt Public Relation Officer (APRO)*	GP-4600	2	
6		*Receptionist*	GP-2800	3	
7	**Medical Record Section**	*Medical Record Officer(MRO)*	GP-4200	1	
8		*Jr. Medical Record Officer(JrMRO)*	GP-2800	1	
9		*Medical Record Technician*	-	0	
10		*Medical Record Asstt Gr-I*	-	0	
11		*Medical Record Asstt Gr-II* ***(Medical record assistant)***	GP-1800	4	
12	**Administration**	*Sr. Administrative Officer(SAO)*	GP-6600	1	
13		*Administrative Officer(AO)*	GP-5400	2	
14		*Asstt. Administrative Officer(AAO)*	GP-4600	3	
15		*UDC/UDA* ***(Junior Administrative officer)***	GP-4200	2	
16		*LDC/LDA* ***(Senior Administrative Assistant)***	GP-2400	14	
17		*Personal Assistant (PA)*	GP-4200	1	
18		*Stenographer*	GP-2400	11	
19	**Material Management**	*Store Keeper Cum Purchase Assistant*	GP-4200	2	
20	**Accounts**	*Asstt Accountant* ***(Junior Account Officer)***	GP-4200	4	
21	**Dietician**	*Asstt. Dietician*	GP-4200	2	
22	**Physiotherapy**	*Physiotherapist Gr-I*	GP-4200	2	
23	**Pharmacy**	*Pharmacist Gr-III*	GP-2800	7	
24	**Sanitation**	*Sanitary Workers*	outsourcing	-	न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को आउटसोर्स किया जाय
25	**Hospital Attendant**	*HA Gr-III*	GP-1800	21	
26	**Data Entry**	*Data Entry Operators*	-	18	
27	**Security**		outsourcing	-	न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को आउटसोर्स किया जाय
28	**Add service related staff of ground floor**	*CSSD, IRF,HRF,Laundry & medical records*	outsourcing	-	न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को आउटसोर्स किया जाय
कुल				**712**	

3- उपर्युक्तानुसार सृजित किये जा रहे नियमित पदों हेतु आवश्यक अर्हता, भर्ती की आयु सीमा, भर्ती की विधि एवं सेवा शर्तों का निर्धारण संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम-1983 एवं उसके अधीन प्रख्यापित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रथम विनियमावली-2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से समरूपता बनायी रखी जायेगी।

4- सृजित किये जा रहे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले पूर्व से उपलब्ध रिक्त पद, यदि कोई हों, तो उन्हें भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। पदों की वास्तविक संख्या तथा उसपर आसन्न वास्तविक भुगतान के अनुपात में परिवर्तन होना संभावित है, जिसकी अंतिम गणना व शुद्धता का दायित्व निदेशक संस्थान/वित्त अधिकारी संस्थान का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होगा।आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायें लेते समय मितव्ययिता तथा इस सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-201/दस-2022-23 दिनांक 26-8-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. संबंधित संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।